अध्यक्ष महोदय : जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां कहा हो उसका मुझे यहां नोटिस लेने की जरूरत नहीं । आज जो वह यहां कहने जा रहे हैं उस क्या नोटिस लिया जा सकता है ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है । आपने अभी कहा कि प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में जो बयान दिया उसका आप यहां नोटिस नहीं ले सकते । लेकिन मेरा कहना है कि प्रधान मंत्री अगर इस प्रकार का ब्यान राज्य सभा में नहीं कहीं बाहर भी दें, सदन में न दें, तो भी वह इस हाउस की कंटेम्प्ट है ।

अध्यक्ष महोदय: आर्डर, आर्डर मैंने कहा है कि यही डिसकशन है जो हम आज अभी ले रहे हैं । उसी पर अभी यहां ब्यान होना है, इस वास्ते उस की बाबत अलहदा से कुछ नहीं किया जा सकता ।

†**श्री रंगा** (चैत्तूर) : जब संसद एक प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है तो उसका इससे पूर्व स्वीकार किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । १४ नवम्बर के संकल्प द्वारा हमने ८ सितम्बर १९६२ की स्थिति के अनुसार कोई प्रस्थापनाओं को स्वीकार करने का अधिकार नहीं दिया । हम प्रधान मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हमें कोलम्बो प्रस्थापनायें स्वीकार नहीं । सरकार और संसद को उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** (जम्मू तथा काश्मीर) : कल भी श्री रंगा यही कह रहे थे । उन्हें बार बार यह कहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हम इन प्रस्थापनाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मेरा निवेदन है कि जिस वातावरण में हम गत दो दिनों से कोलम्बो प्रस्थापनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, वह कुछ खराब हो गया है । हमें एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि आखिर हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं । आज हमारे सामने जो तुरन्त बात प्रस्तुत है, उसकी पृष्ठभूमि है । आज की बात से हम उस पृष्ठभूमि को निकाल नहीं सकते । चीन के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ वह हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है । परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसका एशिया पर और व्यापक संसार पर भी प्रभाव है । आज जिस गति से संसार चल रहा है उसमें हम अकेले नहीं रह सकते । मतभेद हो सकते हैं परन्तु इस तथ्य और पृष्ठभूमि से कोई इन्कार नहीं कर सकते । पुरानी तटस्थता की नीति की भावना भी कुछ बदल रही है । रूस और अमरीका भी एक दूसरे के निकट आते दिखाई देते हैं ।

हमारी तटस्थता की नीति को संसार भर की सभी दिशाओं से समर्थन प्राप्त हुआ है स्वयं अमरीका और रूस ने भी इसे पसन्द किया है । यह दोनों देश यही चाहते है कि हम इस नीति पर कायम रहें । मुझे इस बात पर सचमुच आश्चर्य है कि जब हमें इस नीति में सफलता मिलने की आशा हो रही है । तो कुछ लोग इसे त्याग देने की बात करते हैं । खैर मेरा निवेदन है कि कोई भी बात करते समय हमें उस की संसार भर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का भी ध्यान रखना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सब से पहले तो हमें यह देखना हैं कि हमारे भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कहां क्या अतिक्रमण किये हैं । क्योंकि यह सिलसिला चार पांच वर्षों से चल रहा है । परन्तु सितम्बर १९६२ को चीन ने बहुत बड़ा हमला किया । आज चीन एक आक्रान्ता तथा विस्तार वादी देश के रूप में सामने आया । उसके दिमाग में और भी विस्तार के कई नक्शे होंगे । वह युद्ध में विश्वास करता है । वह शांतिप्रिय सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, न हीं पंचशील के पांच सिद्धान्तों पर कोई उसकी आस्था है जिसे कि संसार के बहुत से देशों ने स्वीकार किया है । जब कि संसार के अधिकांश राष्ट्र युद्ध रास्ते को गलत समझ रहे हैं । विचित्र बात यह है कि चीन उसे ठीक समझ रहा है । चीन बहुत महान राष्ट्र है और उसका अतीत महान है । यदि इस प्रकार के महान राष्ट्र आक्रान्ता बन जायें तो संसार भर के लिए खतरा बन जाता है । हमारा दुर्भाग्य है कि हम चीन के आक्रमण का शिकार हुए हैं । परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि इस खतरे का अहसास अन्य देशों और राष्ट्रों को भी है । मेरा तो यह भी विश्वास है कि चीन की सरकार स्वयं भी अपने कृत्य के खतरे को महसूस कर रही है । भारत के प्रति किये गये अन्याय को भी वह महसूस कर रही है ।

यह तो स्पष्ट ही है कि हम इस प्रकार की सैन्य बल से दी गयी धमकियों से प्रभावित होने वाले नहीं । भारत किसी भी अवस्था में इस अप्रतिष्ठा पूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा । हम शांति पूर्व राष्ट्र हैं और किसी देश अथवा राष्ट्र पर आक्रमण करने का तो विचार तक भी हमारे दीमाग में कभी नहीं आया । परन्तु हम आक्रमण के आगे आत्म समर्पण कभी नहीं करेंगे । हम आजाद रहना चाहते हैं और किसी की आजादी में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई विचार नहीं । यदि हमारी आजादी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हुआ तो निश्चय ही हम अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करेंगे । दूसरों का विश्वास हों न हो, हमें पंचशील के पांच सिद्धान्तों पर अटल विश्वास है । आजके सभ्यता केयुग में समानपूर्वक रहने का यही एक व्यवहारिक साधन है । दूसरा तरीका युद्ध और विनाश का है । दोनों को निकट लाना और सम्मानपूर्वक जिन्दा रहना कुछ कठिन कार्य है, परन्तु कोई कारण नहीं कि हम इस कठिन कार्य से घबरा जायें ।

यह बात भी स्पष्ट ही है कि यदि युद्ध हो जाय, हमारी आजादी, एकता और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाये, तो शांतिप्रिय नहीं रहा जा सकता । हमारे लोगों ने संसार को यह बता दिया है कि हमारा सब से प्रथम ध्येय अपनी आजादी और सम्मान की रक्षा करना है । आजादी ने हमारे भीतर एक अदभ्य भावना का निर्माण किया है । और उसे हर कीमत पर कायम रखा जाना चाहिए । १४ नवम्बर को हमने एक संकल्प किया था, देश की रक्षा करने का, उसपर हम कायम हैं । कल गणतंत्र दिवस पर हमारे राष्ट्र के करोड़ों लोग अपने उस संकल्प को पुनः याद करेंगे । विभिन्न ढंगों से वे भारत माता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा दोहरा देंगे ।

हम चीन के सैनिक बल से घबराने वाले नहीं । इस निडरता के साथ साथ हमें कुछ बुद्धि से भी काम लेना होगा, नहीं तो यह मूर्खता हो जायगी । हमें आज के संसार की सभी हलचलों का बुद्धि से पूर्ण अनुमान लगा कर आगे कदम बढ़ाना होगा ।

पिछले २० अक्तूबर पहली बार हिन्दुस्तान पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया। उससे लगभग छः सप्ताह पूर्व, ८ सितम्बर को,चीनी सेनाओं ने, नेफा क्षेत्र में, थागला रिज को पार करना आरम्भ किया । बड़े पैमाने पर हमला २० अक्तूबर, को हुआ । उस से ३ या ४ दिन पश्चात २४ अक्टूबर को, चीनी सरकार ने त्रि-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया । वह प्रस्ताव चूंकि भारत के लिये असम्मानजनक थे,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसलिये हम ने उन्हें २ या ३ दिन के अन्दर ही रद्द कर दिया। इस कारण, हमारे लिए कोई निश्चित नीति घोषित करना तथा कोई निश्चितप्रस्ताव पेश करना आवश्यक था। कुछ लोगों ने चीन के प्रस्ताव को 'शांति अभियान, का नाम दिया। हमें किसी निश्चित नीति को घोषित करने के साथ साथ, उस 'शांति-अभियान, का सामना भी करना था। उसी समय हम ने यह सुझाव दिया था कि यदि चीन ८ सितम्बर, १९६२ से पूर्व वाली स्थिति को बहाल कर दे, तो हम उस के साथ बातचीत के लिए तैयार होंगे। हमारा प्रस्ताव केवल भारत के लिए ही नही वरन चीन क लिए भी बहुत अच्छा था क्योंकि दोनों देश बड़े देश हैं, और अपने सम्मान के प्रति जागरूक हैं, इसलिये किसी एक के लिए अपमान सहना असम्भव है .....(अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : क्या बहादुरी सिर्फ इन इंटरपशंज ; है। अब जो उनका ख्याल है, उस को आप सुनिये। आप ने अपनीं तकरीरों में अपने ख्यालात का इजहार कर लिया है। अब आप उनकी बात सुन लीजिये।

श्री राम सेवक यादव : बहादुरी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत बहादुर नही हूं। लेकिन मैं कायर भी नहीं हूं, उस तरह से जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शाँन्ति, शान्ति। हर सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, प्रधान मंत्री भी ऐसा कर सकते है। अब सदस्य कृपया शांत रहें और उन को सुनें।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : मैं ते परोक्ष रूप में भी किसी विरोधी पक्ष के सदस्य की ओर निर्देश नहीं किया, फिर इस असाधारण भावुकता की क्या आवश्यकता है। मैं तो आराम से, शांतिपूर्वक तथा निर्पेक्ष ढंग से स्थिति का विश्लेषण करते का प्रयत्न कर रहा हूं।

इस ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव को मैं ने कई बार संसद में, रेडियो पर यसार्वजनिक सभाओं में तथा प्रैस भी दोहराया है। श्री राम सेवक यादव द्वारा एक स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किया गया था जिस का आशय८ सितम्बर वाले प्रस्ताव को अस्वीकार करने का था। वह स्थानापन्न प्रस्ताव लोकसभा द्वारा बहुमत से ठुकरा दिया गया था। तदन्तर, सरकार के कार्यों तथा नीतियों का समर्थन करेने वाला एक मूल प्रस्ताव पारित किया गया। मैं उन प्रस्तावों को पढ़ कर सुनाऊंगा। चर्चाधीन प्रस्ताव इंस प्रकार था :

"कि चीन के भारत पर हमले से उत्पन्न सीमा स्थिति पर विचार किया जाय"

अपने भाषण के दौरान मैं ने कहा था :

"इस के उत्तर में यह कहा गया था कि हम उन के साथ बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक कि पिछले आक्रमण को समाप्त नहीं किया जाता, और नेफा तथा लद्दाख ८ सितम्बर १९६२, से पूर्व वाली स्थिति को बहाल नहीं किया जाता। पिछले कुछ मासों से यही हमारी नीति रही है। और इस से अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। चूंकि हम शांति कायम करने के इच्छुक हैं, इस लिये हम ने यह सुझाव दिया है, और केवल इसी तरह से शांति स्थापित हो सकती है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने भाषण में मैं ने दो, तीन और अवसरों पर भी, इसका उल्लेख किया था। उसमें से मैं आगे पढ़ता हूं :

"हमने ८ सितम्बर, १९६२ से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिये एक सीधा और साफ प्रस्ताव पेश किया था, जिस तिथि से अग्रेतर आक्रमण आरम्भ हुआ"

श्री राम सेवक यादव ने उस प्रस्ताव पर एक स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किया था, जो इस प्रकार था :

"चीन के भारत पर हमले के फलस्वरूप उत्पन्न सीमा स्थिति पर विचार करते हुए, इस सभा की यह राय है कि भारत सरकार की इस नीति को, कि यदि चीनी आक्रमण-कर्ता सितम्बर, १९६२ वाली रेखा तक लौट जायें, तो उन के साथ बातचीत आरम्भ की जा सकती है, अस्वीकार किया जाय; और यह कि तब तक बातचीत न आरम्भ की जाय जब तक कि चीनी आक्रमणकर्ता भारत सीमा की उस रेखा तक न हट जायें जो १५ अगस्त, १९४७ को थी।"

इस स्थान पत्र प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ था। उस मत विभाजन में १३ सदस्य पक्ष में थे, और २८८ विपक्ष में।

†श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मैं आप का तथा सभा का प्रधान मंत्री द्वारा अपने संसद के भाषणों में तथा रेडियो पर प्रसारित विचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। उस के अंश मैं पढ़ कर सुनाऊंगा।

†अध्यक्ष महोदय : अन्य भाषणों की चर्चा नहीं करनी है। केवल जो चर्चा यहां पर हुई थी वह उस की ओर निर्देश कर रहे थे।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरा औचित्य का प्रश्न इस प्रकार है। आप को उस के बारे में विनिर्णय देना है। हर अवसर पर प्रधान मंत्री ने यह बात साफ की है कि सरकार इस प्रस्ताव पर वचनबद्ध है। यह तथ्य यहां अभिलिखित है। मैं एक वाक्य को पढ़ूंगा।

†अध्यक्ष महोदय : औचित्य का प्रश्न क्या है ? वह वाद-विवाद में से पढ़ कर नहीं सुना सकते।

†श्री हरि विष्णु कामत : यदि वह पढ़ सकते हैं, तो मैं भी अवश्य ही पढ़ सकता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री तो भाषण दे रहे हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध उन के वक्तव्य से ही है।

†अध्यक्ष महोदय : औचित्य का प्रश्न क्या है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : संक्षेप में वह ऐसे हैं। प्रधान मंत्री का यह कथन है कि संसद् ने ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं भी इस से विपरीत नहीं कहता। परन्तु, यह कहना सर्वथा झूट है कि संसद् ने इस प्रस्ताव का एकमत से समर्थन किया। निश्चय ही इस प्रस्ताव का उस प्रकार सहर्ष तथा एकमत से समर्थन नहीं किया गया था, जिस प्रकार कि १४ नवम्बर वाले संकल्प का किया गया था। संसद् ने इस प्रस्ताव का उस प्रकार समर्थन नहीं किया जिस प्रकार प्रधान मंत्री कह रहे हैं। मुझे यही कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। वह केवल इस अपदेश पर खड़े हुए हैं। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जहां वास्तव में औचित्य का प्रश्न न हो, वह इस प्रकार की उत्तेजना से प्रभावित न हों। कम से कम पुराने सदस्यों से आशा की जाती है कि वह इस प्रकार अन्तर्बाधा न डालें। (अन्तर्बाधा)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा ने एकमत से कभी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर): मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि श्री राम सेवक यादव का जो अमेंडमेंट है उस के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। उन का जो अमेंडमेंट. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइये।

श्री किशन पटनायक : मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, उस को कम्पलीट कर लेने दीजिये। श्री राम सेवक यादव का यह अमेंडमेंट था कि १५ अगस्त, १९४७ की लाइन को माना जाय। उस को रिजैक्ट करने का मतलब यह कैसे होता है कि ८ सितम्बर की लाइन को माना गया है? आप इस के मतलब को साफ कर दें।

अध्यक्ष महोदय : बस यही है आप का प्वाइंट आफ आर्डर? आप ही बतलाइये कि इस में प्वाइंट आफ आर्डर कहां है? मैं समझता हूं कि इस तरह से खड़े हो जाना और प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट करना निहायत नावाजिब है। एक इंटरप्रेटेशन प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं और उस के लिए प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे हैं। दूसरे आदमी की राय इस से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इस में प्वाइंट आफ आर्डर कैसे हो गया?

†**श्री प्रिय गुप्त** : कि औचित्य के हेतु प्रश्न। एक समय केवल एक सदस्य बोल सकता है।

श्री किशन पटनायक : आप अपनी राय दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मेरी राय की जरूरत नहीं है और न इस में कोई प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं मेम्बर साहबान से कहूंगा कि वे इस तरह के प्वाइंट आफ आर्डर न उठायें। अब प्रधान मंत्री को बोलने दीजिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने केवल स्थानापन्न प्रस्ताव के शब्दों को पढ़ा था। इस का अर्थ निकालना माननीय सदस्यों का काम है। मैं इस स्थानापन्न प्रस्ताव को एक बार फिर पढ़ूंगा।

तदन्तर, श्री विद्या चरण शुक्ल द्वारा एक संशोधन प्रस्थापित किया गया कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रस्ताव रखा जाय कि :—

> "चीन द्वारा भारत पर हमले से उत्पन्न सीमा स्थिति का विचार कर के, यह सभा, सरकार द्वारा, स्थिति का सामना करने के लिए, किये गये कार्यों तथा उस की नीति का, समर्थन करती है।

यह प्रस्ताव, मतदान के बगैर ही, लगभग एकमत से पारित कर दिया गया था, यद्यपि कुछ सदस्य सहमत नहीं भी थे। (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। उन्होंने कहा है "लगभग एकमत" से।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं निश्चय ही यह नहीं कहता कि आचार्य रंगा इस से समहत थे। शायद वह किसी भी अच्छी बात पर सहमत नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि मैं जो भी प्रस्ताव रखूंगा श्री रंगा उस से सहमत नहीं होंगे।

†श्री रंगा : जब तक मैं आपसे सहमति प्रकट करता था, तब तक मैं अच्छा आदमी था।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ शब्दों के लिए बहस करने का सवाल नहीं है। सभा द्वारा जो निश्चय कर लिया गया है, उस में तर्क की गुंजाइश ही नहीं है।। यही बात संसद् कार्य-संचालन के अनुकल है। सरकार के लिये यह सम्भव ही नहीं है, कि हर मामले में पग उठाने से पहले वह संसद् की स्वीकृति ले। सरकार सामान्य नीति ही सभा के समक्ष रखती है, और उस के निर्णयानुसार उसे कार्य करना होता है। यदि संसद् उस नीति को अस्वीकार करे तो सरकार को उस में परिवर्तन करना पड़ता है। विशेषकर इस मामले में, किसी भी कानून के अनुसार या संविधान के अनुसार, सरकार को इस सभा से — मैं १० दिसम्बर की बात कर रहा हूं—राय जानने के लिए आने की आवश्यकता नहीं थी। ८ सितम्बर की रेखा वाला प्रस्ताव चीनियों के पहले प्रस्ताव के प्रतिवाद में पेश किया गया था। परन्तु, हम फिर भी यहां आये, और इस समय आये जबकि इस प्रस्ताव की चर्चा मेरे द्वारा तथा अन्य जनमत के साधनों द्वारा २ मास तक हो चुकी थी। सभा को विशेषकर इस का ज्ञान था। मैं स्वयं यहां पर आया और मैंने कहा कि : "यह हमारी नीति है", और तदन्तर, श्री राम सेवक यादव द्वारा प्रस्थापित स्थानापन्न प्रस्ताव के अस्वीकार किये जाने के पश्चात्, एक संकल्प सभा द्वारा पारित किया गया, जिस के अनुसार सभा ने सरकार के कार्यों तथा नीति का समर्थन किया। मेरे विचार में ऐसा ही हुआ था। इस बारे में कोई सन्देह कैसे हो सकता है? इस का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सभा ने सरकार की ८ सितम्बर वाली नीति का अनुमोदन किया। यही मैं आप को कहना चाहता हूं। बेशक, अब कोई इस तथ्य को स्वीकार न करे। परन्तु हर पहलू से यह बात स्पष्ट हो गई थी (**अन्तर्बाधायें**)

†एक माननीय सदस्य : नहीं, जनाब।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि सिवाय आचार्य रंगा के समस्त सभा ने इस का समर्थन किया था। यह हर समय सभा के अधिकार में है कि वह चाहे तो किसी पूर्व में स्वीकृत बात को भी बाद में अस्वीकार कर दे। वह बात अलग है। मैं सभा के अधिकारों को चुनौती नहीं देता। मैं केवल एक अभिलिखित तथ्य की चर्चा करते हुए बता रहा हूं कि यह मामला सभा के समक्ष आया; और बार बार इसे, मेरे द्वारा, सभा के भाषण में तथा अन्य सार्वजनिक वक्तव्यों में, दोहराया गया। तदन्तर, सरकार की नीति की सभा द्वारा पुष्टि की गई। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। उस नीति में, उस समय, यही विशेष बात थी, अन्य बातों का निर्णय पहले ही हो चुका था। इसलिए, मेरा निवेदन है कि इस विशेष मामले में न केवल सरकार ही बल्कि सभा भी सहमत हुई थी।

उसी समय, जब हम इस मामले पर सभा में चर्चा कर रहे थे, तो लंका के प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित सम्मेलन की बैठक भी हो रही थी। लंका के प्रधान मंत्री ने इस बारे में, नवम्बर में किसी समय, उपक्रम किया। शायद यह उपक्रम नवम्बर के तीसरे सप्ताह में किया; और उन्होंने बैठक के लिए १ दिसम्बर का सुझाव दिया। उन्होंने इस विषय में हम से विचार विमर्श नहीं किया। हमें केवल उसी समय सूचना मिली जब यह सम्मेलन आयोजित किया गया। उन का अन्य देशों से विचार करना स्वाभाविक ही था। हम ने, एक प्रकार से, उन के उपक्रम का स्वागत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

किया, और तत्पश्चात् बैठक की तिथि में परिवर्तन करके एक दिसम्बर की बजाय १० दिसम्बर कर दी गई । और उस तिथि को इधर हमारी लोक-सभा की बैठक थी, उधर कोलम्बो में सम्मेलन आरम्भ हुआ । तदन्तर, उन्होंने कुछ संकल्प पारित किये जिस की प्रतिलिपियां हमें भी दी गईं । परन्तु उन्होंने साफ कह दिया था कि हम उन प्रस्तावों को गुप्त रखें, तब तक जब तक कि वह स्वयं हमारे पास नहीं आते । कुछ दिन पश्चात्, लंका के प्रधान मंत्री, अपने कुछ साथियों सहित, पीकिंग गईं, इन संकल्पों पर चर्चा के लिए और तदुपरान्त वह हमारे देश में आईं ।

अन्य देशों के दो प्रतिनिधि भी उन के साथ थे, एक अरब संघ गणराज्य के प्रधान मंत्री तथा दूसरे घाना के न्याय मंत्री । सर्वप्रथम, हम ने उन्हें इन संकल्पों के भावार्थों को साफ करने के लिए कहा, और पूछा कि क्या इन के निर्वाचनों में कोई सन्देह वाली बात तो नहीं है । यह जाहिर था कि संकल्पों के कुछ अंशों के अर्थ भिन्न भिन्न निकाले जा सकते हैं । इस कारण, उन को हम ने उन अर्थों के स्पष्टीकरण के लिए कहा । हम ने उन्हें कुछ प्रश्न पूछे जिस के उत्तर में उन्होंने लिखित रूप में हमें अपनी व्याख्यायें तथा विस्तारण दिये । तब हम ने कोलम्बो संकल्पों पर, मूल रूप में, उन के द्वारा दिये गये विस्तारणों सहित, विचार किया; और विचार करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचे कि वह हमारे द्वारा ८ सितम्बर वाली मांग को सार रूप में पूरा करते हैं । तब हम ने उन्हें बताया कि सिद्धान्ततः हम उन प्रस्तावों को सरकार की ओर से स्वीकार करते हैं; परन्तु हम चाहते हैं कि इन प्रस्तावों को हम संसद् के सम्मुख रख कर, उस की प्रतिक्रिया देख कर, अन्तिम उत्तर आप को दें ।

अब, मैं यह बताना चाहूंगा कि सितम्बर के प्रस्ताव का मामले के गुणावगुण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था । कोलम्बो शक्तियों ने कहा था कि वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहते हैं जिस में दोनों पक्षों के लिए आपस में बातचीत करना सम्भव हो जाय; अतः वह केवल तनाव को कम कर के बातचीत का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं । इसी बात पर विचार हम आज कर रहे हैं ।

जब कोलम्बो शक्तियों के प्रतिनिधि यहां पर आये तो उन्होंने हमें बताया, इसे हम पहले भी सुन चुके थे, कि उन प्रस्तावों के प्रति चीन का सकारात्मक प्रतिचार हैं । तदन्तर, यह मालूम हुआ कि वह तथाकथित सकारात्मक प्रतिचार कई महत्वपूर्ण तरीकों से सीमित तथा प्रतिबन्धित है । अभी अभी मैं सभा के सामने उन में से एक या दो का उल्लेख करूंगा । कुछ भी हो, यह हमें मालूम हो गया कि उन प्रस्तावों को, कोलम्बो शक्तियों द्वारा दिये गये विस्तारणों सहित, चीनी सरकार ने पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया । हम ने उन्हें स्पष्ट रूप में बता दिया कि हमारा उन के प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में मानने का अर्थ यह है कि हम उन्हें उन के द्वारा निकाले गये अर्थों तथा विस्तारणों के अनुसार स्वीकार करते हैं । हम ने उन्हें उन प्रस्तावों में परिवर्तन लाने या फेरबदल करने के लिए नहीं कहा, यद्यपि हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे; हम उन समस्त प्रस्तावों को उसी रूप में रखना चाहते थे । यदि हम कुछ परिवर्तन के लिए आग्रह करते तो यकीनन वह फिर पीकिंग जाते और उन परिवर्तनों को स्वीकार करवाने का प्रयत्न करते । कुछ भी हो, हम ने उन प्रस्तावों को उस रूप में स्वीकार किया, जिस रूप में वह चीन को, बाद में, स्वीकार्य नहीं थे । उन्होंने प्रस्तावों के अर्थ भिन्न निकाले थे ।

अब मैं प्रस्तावों के विषय में बोलूंगा, क्योंकि सभा में बहुत कुछ कहा गया है जिसे सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ । प्रत्येक सदस्य अपनी विचारधारा रखने का अधिकारी है कि यह प्रस्ताव

अच्छे हैं या अलाभदायक; परन्तु किसी तथ्यहीन तथा आधाररहित बात का कहना अनुचित है। मैं चाहता हूं कि वह सदस्य जिन्होंने कहा है कि यह प्रस्ताव "भारत के लिए राजनीतिक, सैनिक तथा अन्य दृष्टियों से घातक हैं," एक बार फिर इन पर विचार करें। मैं यह फिर कहता हूं कि इन प्रस्तावों द्वारा हमारे ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव का लक्ष्य सारभूत रूप में पूरा हो जाता है। मैं यह बता चुका हूं कि किस प्रकार ८ सितम्बर वाला प्रस्ताव उचित था। उस के पश्चात्, जब यह कोलम्बो प्रस्ताव हमारे समक्ष आये, तो हमें कोलम्बो शक्तियों के साथ समस्त स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करनी थी; हमें उन के साथ मामले के गुणावगुणों में जा कर उन्हें यह बताना नहीं था कि किस प्रकार चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया। अनौपचारिक रूप से हमारी उन के साथ बातचीत बेशक हुई। परन्तु, इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमें केवल यह देखना था कि क्या यह हमारी ८ सितम्बर वाली रेखा के साथ मेल खाते हैं कि नहीं। जहां यह हमारे प्रस्ताव से मेल नहीं खायें वहां हमें स्पष्टतया उन्हें अस्वीकार करना था। यदि वह हमारे हितानुसार थे तो हमें उन प्रस्तावों को स्वीकार करना ही था।

हम इस निर्णय पर पहुंचे कि वह हमारी ८ सितम्बर वाली मांग के अनुसार ही हैं। जहां कहीं हमें किसी भिन्नता का लक्षण मिला, हम ने साफ तौर से सुझाव दिया कि ८ सितम्बर वाली स्थिति को बहाल करना आवश्यक है। उन का दृष्टिकोण हम से भिन्न था, परन्तु अन्त में वह उसी निर्णय पर पहुंचे जिस से हमारी ८ सितम्बर वाली स्थिति बहाल हो जाती थी। कुछ मामलों में वह ऐसे निर्णयों पर नहीं पहुंचे; परन्तु अन्य मामलों में हमें अपनी इच्छा से भी बढ़ कर लाभ प्राप्त हुआ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : उन कुछ मामलों तथा अन्य मामलों को विस्तार से कहिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उदाहरणार्थ, मैं लद्दाख क्षेत्र सम्बन्धी एक दो बातों का उल्लेख करूंगा, जोकि इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मध्यम खण्ड में कोई घटना नहीं हुई है; वहां पर ८ सितम्बर से पूर्व वाली स्थिति रही है; और इन प्रस्तावों के अनुसार भी वही स्थिति रहेगी, जब तक कि इस में किसी प्रकार का परिवर्तन न लाया जाय। नेफा क्षेत्र में, चीनी या तो हट गये हैं या समस्त क्षेत्र से हटने वाले हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : वास्तव में स्थिति इस प्रकार नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोलम्बो प्रस्तावों में यह कहीं भी नहीं कहा गया कि चीनी सेनायें धोला और लौंगजू से पीछे हटें, हालांकि ८ सितम्बर से पूर्व वह इन क्षेत्रों में कहीं भी नहीं थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को धैर्य रखना चाहिए। प्रधान मंत्री इन बातों का वर्णन करने ही वाले थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह शांतिपूर्वक सुनने की आदत डालें।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने सुना है। मैं तो केवल यह कहता हूं कि शब्द "समस्त क्षेत्र से" नहीं होने चाहिएं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। वह उसी बात की चर्चा करने वाले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम संसदीय रूढ़ियों का विकास कर रहे हैं। पूर्व इस के कि मैं एक पंक्ति समाप्त करूं, माननीय सदस्य अन्तर्बाधा डाल देते हैं। यहां पर औचित्य प्रश्न के आधार पर अन्तर्बाधायें डालने का क्रम, संसदों के इतिहास में, एक विचित्र आविष्कार हैं।

†श्री हेम बरुआ : मैं ने तो ऐसा नहीं किया।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं आप से नहीं कह रहा।

†श्री प्रिय गुप्त : समयानुसार रूढ़ियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

†श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री को इस प्रकार हमें बुरा-भला कहने का अधिकार नहीं है।

†श्री हरिविष्णु कामत : हम भी वैसा ही कर सकते हैं, परन्तु हम ऐसा करना नहीं चाहते।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रधान मंत्री को किसी प्रकार भला-बुरा कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

†श्री हरिविष्णु कामत : आप स्वयं दूसरों के लिए आदर्श कायम कीजिये।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं पूर्णतया सहमत हूं। यदि मेरा यह कहना, कि सदस्यों को तब तक अन्तर्बाधा नहीं डालनी चाहिए जब तक मैं अपनी बात न कह लूं, जब तक मैं एक या कम से कम आधी पंक्ति भी न कह सकूं ; अथवा यह कि यहां पर औचित्य प्रश्न उठाने का विचित्र तरीका हैं, गाली समझा जाता है, तो मैं भाषा को नहीं समझता।

मैं ने केवल यह कहा था कि कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार, नेफा क्षेत्र में, हम उन दो स्थानों के अलावा और समस्त क्षेत्र में जा सकते है। उन दो स्थानों के बारे में अग्रेतर चर्चा द्वारा निर्णय होगा। उन प्रस्तावों के अनुसार इन के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया। वह दो स्थान है : धोला रिज और लांगजू के समीप कुछ क्षेत्र।

†श्री हरिविष्णु कामत : थागला रिज का क्या हुआ ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक लांगजू का सम्बन्ध है, इन प्रस्तावों के अनुसार तथा हमारे ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव के अनुसार किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ने उन्हें ८ सितम्बर को सीमा रेखा तक हट जाने के लिए कहा है। लांगजू ८ सितम्बर वाली रेखा के ऊपर ही स्थित है। इसलिए इस बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं लांगजू के इतिहास में जा कर यह देखना नहीं चाहता कि वह वहां पर कैसे है, और फिर, कि वह वहां से हट जायें या हम हट जायें ; और यह कि क्या ऐसा करना उचित है अथवा अनुचित। यह मामला बिल्कुल अलग है। परन्तु, ८ सितम्बर वाली रेखा के अनुसार लांगजू पर प्रभाव नहीं पड़ता। धोला पर निश्चय ही पड़ता है।

†श्री हेम बरुआ : लांगजू पर भी असर पड़ता है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: कुछ भी हो, लांगजू और धोला के बारे में बातचीत तथा विचार होना है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि धोला तथा लांगजू. . .

†श्री त्यागी : यदि धोला तथा लांगजू के बारे में भविष्य में चर्चा होनी है तो हमें उन के बारे में किसी प्रकार की टीका नहीं देनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम टीका नहीं दे रहे हैं। इस विषय में कोलम्बो शक्तियों ने और हम ने बात स्पष्ट कर दी है। लांगजू के बारे में, मैं ने कई बार दोहराया है कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं सभा से निवेदन करूंगा कि हमें इस विषय पर ८ सितम्बर वाली रेखा की दृष्टि से विचार करना है, गुणावगुणों के आधार पर नहीं। ८ सितम्बर की रेखा के अनुसार लांगजू एक सीमान्त ग्राम है जिस का आधा भाग हमारे पास हैं और आधा उन के पास। थोला चौकी भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारी स्थिति इस प्रकार थी और अब भी है कि थोला और उस से इधर वाले क्षेत्र से चीनी हट जायें। इस से, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई स्थिति को स्वीकार करें, तो नेफा में कोई झगड़ा नहीं रहता।

वर्तमान स्थिति इस प्रकार है : जैसाकि मैं ने कल भी कहा था, कि चीनी समस्त नेफा से हट गये हैं, सिवाय एक छोटे से क्षेत्र के जोकि थागला रिज के पास हैं और जिस का कि फैसला अभी होना है। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कोलम्बो शक्तियों द्वारा हमें यह आश्वासन दिलाया गया है कि हम इन सब क्षेत्रों में जा सकते है।

लद्दाख के बारे में, जो सदस्यों के लिए अधिक चिन्ता का विषय रहा है, प्रजा समाजवादी दल के नेता से मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि वह उस में सन्देह रखते हैं कि चीनी केवल २० किलोमीटर ही आगे बढ़े हैं। मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार और किस स्थान से मापते हैं।

इन क्षेत्रों में फासलों को मापना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां इस पर बहुत निर्भर करता है कि आप कहां से मापते हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, वहां कोई सीधी रेखा नहीं है। लगभग ४० हमारी चौकियां वहां पर हैं और इतनी ही चीनियों की भी हैं। यह सब मिली जुली हैं। समस्या यह हैं कि कहां से मापना आरम्भ करें? वास्तव में, लद्दाख क्षेत्र में चीनी २० किलोमीटर से कम ही आगे बढ़े हैं। ८, १० या १२ किलोमीटर्ज वह साधारणतया आगे बढ़े हैं।

एक या दो स्थानों में, विशेष कर दक्षिण की ओर, वह शायद २० किलोमीटर से अधिक बढ़े है। परन्तु, वहां भी यह देखना पड़ेगा कि आप कहां से मापना आरम्भ करते हैं। कुछ भी हो, हमें तो यह देखना है कि यह हमारी ८ सितम्बर वाली मांग से किस प्रकार मेल खाते हैं। यदि इस ८ सितंबर वाली रेखा को देखा जाय, तो इस का यह अर्थ होगा कि हमारी और चीनियों की भी सारी चौकियां वहां पर रहें, क्योंकि वह ८ सितम्बर से पूर्व भी वहां पर थीं। वह चौकियां नई नहीं बनाई गईं। हमारी चौकियां, बेशक, इस आक्रमण के फलस्वरूप वहां नहीं रही थीं। इस का अर्थ यह हुआ कि हम अपनी छोड़ी हुई चौकियों पर चले जायेंगे, और चीनी अपनी लगभग ४० चौकियों पर रहेंगे। चीनियों की चौकियां सामरिक दृष्टि से हमारे मुकाबले में अधिक लाभदायिक स्थिति में रहेंगी। इस स्थिति में, कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार इन अधिक सशक्त चौकियों को हटा लिया जायगा जोकि हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इस समय हम उन चौकियों पर नहीं हैं। उन प्रस्तावों के अनुसार उन क्षेत्रों में हमारी और चीन की कुछ असैनिक चौकियां होंगी। वह चौकियां करार के अनुसार भागिता में न हो कर, अलग अलग होंगी। मैं नहीं समझ पाया कि किस प्रकार, चीनियों द्वारा उन चौकियों से हट कर, असैनिक चौकियां स्थापित करने को उस क्षेत्र में भागिता नियंत्रण का नाम दिया जा सकता है। इस से, मेरे विचार में, चीन को इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं मिल जाते। मुख्य प्रश्न चीनियों के हटने तथा किस सीमा तक हट जाने का हैं, ताकि वहां पर हम अन्य पग उठा सकें। गुणावगुण के आधार पर क्या हम उन के वहां से हट जाने का विरोध करते हैं? क्या हमें यह कहना चाहिए कि यदि आप वहीं पर रहें? अथवा यह कहें कि आप वहां से हट जायें? इस विषय में जो तर्क दिया गया है वह मेरी समझ में नहीं आया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पीछे भी हट जायें और वहां रहें भी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह अपनी सारी सैनिक चौकियां हटा लेंगे। समानता और बराबरी के आधार पर जितनी हम लोग निश्चित करेंगे उतनी ही असैनिक चौकियां वह वहां रखेंगे। यह ठीक है कि प्रशासन आदि का प्रश्न उठने पर कुछ कठिनाई होगी। किन्तु ऐसा प्रश्न वहां उठता ही नहीं। वह सैनिकों से रहित विसैन्यीकृत क्षेत्र होगा जहां से चीनी सैनिक हटेंगे, हमारे नहीं। क्योंकि हमारे सैनिक तो वहां हैं ही नहीं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : हम उस क्षेत्र को खाली कर रहे हैं और उन्हें उस पर शांतिपूर्वक अधिकार करने दे रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है। जितनी माननीय विरोधी दल के सदस्यों की। सामान्य किन्तु व्यावहारिक बुद्धि ही तथ्यों को समझ सकती है।

जो भी हो मैं इस सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में कोलम्बो प्रस्ताव सभी दृष्टिकोणों से निश्चित रूप से अधिक अच्छे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : नहीं, नहीं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : नहीं, नहीं, । (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री किशन पटनायक** (सम्बलपुर) : इस प्रकार की बात कहना देशद्रोह है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य भिन्न प्रकार का मत रख सकते हैं। किन्तु क्या प्रधान मंत्री को अपना मत अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं है ?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा कहना यह है कि वैसे तो प्रधान मंत्री महोदय हाउस का मान होना चाहिए, यह बात बहुत कहते हैं लेकिन कायदा, कानून क्या यह इजाजत देता है कि जब अध्यक्ष महोदय खड़े हों तब भी प्राइम मिनिस्टर स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं लेकिन उस के मुकाबले यदि कोई दूसरा मेम्बर खड़ा होता है तो उस को कहा जाता हैं कि यह हाउस के कायदे, कानून के खिलाफ है। मैं इस पर रूलिंग चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि जब अध्यक्ष खड़े हों तब कोई मेम्बर खड़ा नहीं हो सकता। अब कोई मेम्बर में मिनिस्टर भी शामिल है यह कौन नहीं जानता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, मेरा इन दलीलों का दुहराना उचित नहीं, क्योंकि यह दिन की रोशनी की तरह साफ़ है। कोलम्बो प्रस्तावों में सुझाया गया यह विसैन्यीकृत क्षेत्र तथा और सब बातें, क्योंकि अभी कोई भी पक्ष किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ रहा, अस्थायी ही है। विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाया जाना हमारे लिए सैनिक चौकियां बनाये रखने से जो उन की सैनिक चौकियों के साथ मिली जुली होने के कारण कठिनाई उत्पन्न कर रही हैं, सैनिक अथवा राजनैतिक, हर दृष्टिकोण से अधिक लाभकारी है। सिविलियन से भिन्न दूसरे लोगों ने भी यही राय दी है। माननीय सदस्य यदि दूसरा दृष्टिकोण रखना चाहे तो वह इस के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो चीज साफ़ हैं उसे देखने में उन की सहायता नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : यह ८ सितम्बर वाला प्रस्ताव नहीं है । वह बिना शर्त पीछे हटने का था (**अन्तर्बाधायें**) । वह भ्रम में डाल रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ८ सितम्बर वाला प्रस्ताव ८ सितम्बर की स्थिति कायम करने के बारे में था । इस स्थिति का मतलब है चीनियों और हमारी दोनों की चौकियां इस क्षेत्र में बिखरी हुई हों और चीनी चौकियों में बहुत बड़ी संख्या में सैनिक हों । ऐसी ही बात थी । यह लाभदायक स्थिति नहीं थी । मान लो कि वह कहें कि जो आप चाहते है हम देने के लिए तैयार है । हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि हम ने ऐसी ही मांग की थी ।

श्री बागड़ी: : क्या उन चौकियों के नाम मेंशन किये गये है या नहीं ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इन को स्वीकार किये जाने के बाद भी ८ सितम्बर वाली स्थिति कायम नहीं होगी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह ८ सितम्बर की पूर्वस्थिति कायम किये जाने से ज्यादा अच्छा होगा । इसलिए चीन इन्हें स्वीकार नहीं करता (**अन्तर्बाधायें**) :

†**एक माननीय सदस्य** : वह अधिक चाहते है ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, ...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । क्या इस तरह से हाउस में कोई काम चल सकेगा ?

श्री बागड़ी : यह तो आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए । प्राइम मिनिस्टर खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : जब प्राइम मिनिस्टर यहां पर बोलेंगे, तो वह अपनी राय, अपने ख़याल और गवर्नमेंट का स्टैंड रखेंगे । अगर आप उन को नहीं सुनना चाहते, तो क्या मैं उन को बन्द कर दूं ? यह उन का ख़याल है और अगर आप उस से एग्री नहीं करते हैं और वह आप की मुआफ़िक़त में न भी हो, तो उस को सुनना तो पड़ेगा । जब वक्त आयेगा, तो इस का फ़ैसला तो यह हाउस ही देगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसलिए लद्दाख के विषय में यह कोलम्बो प्रस्ताव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से न तो विभाजन चाहते हैं न इसे स्वीकार करते हैं । यह एक अस्थायी प्रबन्ध है जिसके स्वीकार नहीं किये जाने का यह अर्थ होगा कि और कुछ किये जाने तक वह क्षेत्र उसी के नियंत्रण में रहे ।

अब मैं एक बात को जिसे मैंने राज्य सभा में कहा था और जिसकी ओर श्री कामत तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने निर्देश किया था स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैं समझता हूं मैं ने यह कहा था कि प्रथा यह है कि सरकार सभा को तथा संसद् को पूरी जानकारी देती रहे । सरकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अपने द्वारा उठाये जाने वाले हर कदम को सभा के सामने लाये और उस पर मतदान करवाये । बहुत सी बातों के सिलसिले में सरकार को किसी विशेष स्थिति में कदम उठाना पड़ता है । मान लीजिये युद्ध होता है । इस में जनरल सरकार को बताये बग़ैर ही कदम उठाते हैं । कभी-कभी वह महत्वपूर्ण बातों पर सरकार से सलाह, यदि ले सकें तो, लेते हैं । किन्तु हमेशा ऐसा नहीं कर सकते । इसलिये इन सब बातों में सरकार ऐसे कदम जो स्वीकृत सामान्य नीति के अनुसार हैं उठा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विषय में, जैसा कि मैं ने कहा है, हमारी सामान्य नीति सभा के सामने लाई गयी है और सभा द्वारा कई बार इसका अनुमोदन किया गया है। इसलिए सरकार उस सीमा के अन्दर वह कदम, चाहे उस विशेष कदम का अनुमोदन किया गया हो अथवा नहीं किन्तु वह उस नीति के अनुसार हो, उठाती है। मुझे किसी भी संवैधानिक परम्परा के अनुसार इस विषय को सभा के सामने लाने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु मैंने उसे उचित नहीं समझा खास तौर पर उस समय जब कि सभा की बैठक होने वाली थी। इसलिए मैं इसे सभा के सामने लाया और इसके लिये मुझे खुशी है।

इससे सभा के सामने लाने के बाद अब क्या करना है? इसके अनुमोदन के लिये मैं कोई मूल प्रस्ताव सभा के सामनें लाना इसलिए आवश्यक नहीं समझता था कि यह सभा द्वारा अनुमोदित सामान्य नीति के ही अन्तर्गत आ जाता है। मैंने यह भी सोचा कि यदि मैं सारी स्थिति . . .

†श्री नाथ पाई : यह सच नहीं है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता माननीय सदस्य क्या समझ रहे हैं। यदि सभा की इच्छा हो तो मैं इसे अभी और इसी समय रख सकता हूं . . .

†कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं तैयार हूं। मैं दो कारणों से इसे सभा के सामने नहीं लाया। पहला जैसा मैंने कहा यह था कि मैं इसे ज़रूरी नहीं समझता था और मैं नहीं चाहता था कि संसद् से हर विषय पर मत लिया जाना एक पूर्वोदाहरण बने। ऐसा पूर्वोदाहरण अच्छा नहीं। दूसरे संसदों में ऐसा नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि चूंकि चीन सरकार ने अपना अन्तिम उत्तर नहीं दिया है सभा के लिये यह वांछनीय होगा कि वह इस विषय को सामान्य नीति की सीमा के अन्दर निबटाने के लिये सरकार के ऊपर छोड़ दे। किन्तु यदि किसी को यह सन्देह है कि यह ठीक रास्ता नहीं है तो मैं आप को और सभा को यह सुझाव दूंगा कि मुझे इसका इधर या उधर फैसला करवाने के लिये अभी और इसी समय संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय. . . (अन्तर्बाधायें)।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकार की सामान्य नीति का अनुमोदन करते समय हम नीति का मतलब उस नीति से समझे थे जिसे सभा ने १४ नवम्बर को स्वीकार किया था। किन्तु प्रधान मंत्री कहते हैं कि यह प्रस्ताव भी उसी के अन्तर्गत आ जाते हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने गलत समझा। यदि इसे समझदारी से देखा जाय तो यही पता चलेगा कि ऐसा नहीं था। थोड़े समय के लिये संसद् की बात छोड़ दीजिये। सरकार एक दिशा पर कार्य करने को वचनबद्ध है जब तक संसद् के द्वारा नहीं रोका जाता उसी दिशा की ओर कार्य करती रहती है। इसे करना ही पड़ता है। सरकार इन बातों के बारे में पशोपेश में नहीं रह सकती। हम यह कह चुके हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने कहा है कि जहां तक संसद् का सवाल है उसने ८ सितम्बर रेखा का नीति रूप में अनुमोदन कर दिया है। अब इस बात के समझने का प्रश्न पैदा होता है कि कोलम्बो प्रस्तावों में ८ सितम्बर की रेखा की कहां तक स्वीकार किया गया है। यही मुख्य प्रश्न है जिस पर कि सरकार को विचार करना हैं और हम ने बता दिया है कि हम इन्हें सिद्धान्त रूप में मानते है। हम ने सोचा कि हम उन्हें मंजूर कर लें। लेकिन हमारे ही मान लेने से बात नहीं बनती क्योंकि इसका सम्बन्ध चीन से भी है। चीन ने अभी तक इनको नहीं माना और में नहीं जानता कि वह इस बारे में क्या करेगा। लेकिन हम पशोपेश में नहीं रह सकते। हमें लंका की प्रधान मंत्री को बतलाना है कि हमारी स्थिति क्या हैं।

†मूल्य अंग्रेजी में

जैसा कि मैंने आप को बतलाया मैं उन्हें सूचित कर दूंगा । इसलिये विरोधी सदस्यों ने जो यह कहा कि मैं ने नवम्बर वाली बात के कारण मूल संकल्प पेश नहीं किया है इसे मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया । इस वक्त हमें इससे क्या मदद मिल सकती है ? इसमें शक नहीं कि हम ८ नवम्बर वाली बात पर जमे हुए हैं । और यही बात कल हिन्दुस्तान में हज़ारों जगहों पर दोहराई जायेगी । यह एक अलग बात है । लेकिन उस बारे में हमें कुछ न कुछ ज़रूर कहना हैं । हमें "हां" या "ना" में जवाब देना है । इसलिये यह सभा को बताना है कि हमें "हां" कहना हैं या "ना" ।

†कुछ माननीय सदस्य : हां ।

†कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है ? इसे कैसे अभिलिखित किया जायगा, क्या मैं जान सकता हूं ?

†श्री रंगा : उन्हें वह उत्तर भी मिल गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह अपने विषय पर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं । और जहां "नहीं" की आवाज़ें हैं वहां "हां" की भी हैं । किन्तु मैं सभी माननीय सदस्यों से पूछ रहा हूं । एक पक्ष से ही नहीं . . . . (अन्तर्बाधाएं)

†श्री रंगा : आपको संतुलन नहीं खोना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ? यदि कार्यवाही शान्तिपूर्वक नहीं चलती तो मुझे उसकी व्यवस्था करना है ।

†श्री रंगा : जब उन्होंने 'हां' कहा तो हमने भी 'नहीं' कहा ।

†श्री नाथपाई : जब प्रधान मंत्री ने हमें भेंट करने के लिये बुलाया था तो संसदीय कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर मतदान नहीं करवायेगी और यह आशा की जाती है कि हम इसे अस्वीकार करने के लिये कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे । हमें ऐसी स्थिति समझाई गई थी और वही अब भी है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मतभेद को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इसे दूर कर दिया जाये और यदि आप चाहें तो एक मूल प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाये । यदि सभा की इजाज़त हो तो मैं इसे प्रस्तुत करूंगा . . . .

†श्री प्रिय गुप्त : आपको यह पहले ही प्रस्तुत करना था ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जानता हूं कि मेरे लिये यह एक नई बात है कि इतनी देर बाद अब मैं इसका सुझाव दूं । किन्तु यदि सभा को और आप लोगों को यह स्वीकार हो तो मैं बिल्कुल रजामन्द हूं । इतना ही मुझे कहना है । मैं इस पर ज़ोर देना नहीं चाहता । किन्तु एक बात बिल्कुल साफ़ है ।

माननीय सदस्य श्री नाथपाई को मैंने या संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है उस बारे में अवश्य कुछ गलतफहमी हो गई है । उन्होंने कहा था कि हम इसे पेश नहीं करेंगे क्योंकि साधारण हालातों में यह ज़रूरी नहीं है । सरकार एक नीति के अनुसार कार्य करती है और यदि वह नीति समझा दी जाती है, यदि सभा इसे मोटे तौर पर स्वीकार कर लेती है तो यह काफी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये आपकी प्रार्थना सुन ली जायेगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी एक प्रार्थना तो सुन लीजिये ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसलिये स्थिति यह है कि मुझे हमारे रुख के बारे में कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों को और लंका की प्रधान मंत्री को आज या कल निश्चित उत्तर भेजना है । मैं उन से यह नहीं कह सकता कि अभी हमने कोई निश्चय नहीं किया । यह बेतुकी बात है । सच तो यह है कि हमने उनसे पहले ही कह दिया है कि सिद्धान्त रूप में हम इसे मंजूर करते हैं । और यह सरकार की प्रस्थापना है कि हम उनसे निश्चित रूप से यह कह दें कि हम विस्तार और स्पष्टीकरण सहित इन कोलम्बो प्रस्तावों को मंजूर करने के लिये तैयार हैं । उन पर अमल किया जायेगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष इसे मंजूर करता है या नहीं । अभी उन्होंने इन्हें मंजूर नहीं किया है । वह इन्हें मंजूर नहीं करेगी तो यह अमल में नहीं लाये जायेंगे । यह अलग बात है । मुझे दोनों में से एक रास्ता पकड़ना है इसके बिना कोई चारा नहीं । अगर किसी माननीय सदस्य के दिमाग में शक है तो मैं आपको और सभा को यह सुझाव दूंगा कि वह मुझे विशेष प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दें जिससे मैं उस शक को मिटा सकूं ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकार के रूप में आपके अधिकार को कोई भी चुनौती नहीं देता ।

†श्री हरिविष्णु कामत : यहां आपका बहुमत है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना सुन लीजिये ।

आपके कहने के मुताबिक मैं पहले बैठ गया था । अब तो सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । मैं आपकी प्रार्थना सुन लूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : आप कहें तो बैठ जाता हूं । लेकिन मेरी बात अवश्य सुन लीजाये ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय विरोधी दल के सदस्य का कहना है कि वह इस पर सरकार की प्रतिक्रिया को कोलम्बो सम्मेलन के देशों को बतला देने के अधिकार को चुनौती नहीं देते । लेकिन माननीय सदस्य किसी दूसरे दिन .....

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, हजरारों आदमी मरवा दिये गये हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा हैं कि मैं प्रार्थना सुनूंगा । मगर अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : तीन बार तो मैं आप के कहने से बैठ गया हूं । अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिये । अभी तक आपने सुनी नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि सुन लूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा अनुशासन देखिये । आप के कहने के अनुसार मैं तीन बार बैठ चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कहिये आप क्या कहना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की पालिसी इस तरह से रोज कैसे बदलती रहती है ? कल तो वह कह रहे थे कि चीन जब तक हमारा इलाका खाली नहीं कर देता, तब तक उसके साथ बात नहीं करेंगे। आज आप क्या कह रहे हैं ? आज आप क्या कर रहे हैं ? आप उनको ईमानदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े सज्जन हैं। क्या उनकी नीयत ठीक हो गई है, क्या वे पहले जैसे भाई हो गए हैं या कुछ और ज्यादा हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सुन भी है। आपने तकरीर करनी थी, वह कर ली है।

†श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं अपने आपको आपके और सभा के ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि मुझे केवल भाषण ही नहीं देना इस पर कुछ कार्यवाही भी करनी हैं। और मैंने सरकार का इरादा साफ साफ सभा को समझा दिया है। हम समझते है कि हम ठीक रास्ते पर हैं। यह हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य इसे ठीक नहीं समझते हों। इस विषय पर कार्य करने के दो रास्ते हैं। पहला बिल्कुल स्पष्ट रास्ता तो यह है कि इसे मतदान के लिये रखा जाय। वास्तव में यह कुछ अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम सेवक यादव के संशोधन द्वारा, जो कि नकारात्मक है और जो इसको अनुमोदन करने के बारे में है, मतदान के लिये रखा जायेगा। अगर वह नामंजूर कर दिया गया तो उसके कुछ नतीजे निकलेंगे किन्तु मैं उन नतीजों को मंजूर करने के लिये तैयार हूं। किन्तु यदि ऐसा नहीं होता और यदि सभा स्पष्ट विनिर्णय चाहती है तो मैं इसे सीधे मतदान के लिये पेश करने को तैयार हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन्तु वास्तविकता यह है कि मैं चाहता हूं कि सभा इस बात को समझ जाय। मैं नहीं चाहता कि यह कहा जाय कि मैंने कोई काम सभा को बिना बताये या उसके नामंजूर करने पर भी किया। यह बात मैं पूरे तौर पर साफ़ कर देना चाहता हूं।

सरकार का इरादा है कि कोलम्बो प्रस्तावों का, उनके व्याख्या और स्पष्टीकरण सहित पूरे रूप से अनुमोदन करके, लंका की प्रधान मंत्री को इसका अन्तिम उत्तर भेज दिया जाय। स्वाभाविक ही है कि मैं यह और कह दूं कि उन्हें अमल में लाने का प्रश्न उसी समय पैदा होगा जब दूसरा पक्ष उनका अनुमोदन कर दे। मैं समझता हूं यह हालात हैं जिन पर मैं कार्य करने का विचार करता हूं और वह मैं उस समय तक नहीं कर सकता जब तक सभा इसका अनुमोदन न कर दे। स्वाभाविक है कि उस समय तक मैं कार्य नहीं कर सकता और न ही मैं करूंगा। जब तक सभा इसका अनुमोदन न कर दे। किन्तु इस विषय में किसी को शक करने की गुंजाइश मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन दो या तीन दिनों में दिये गये तर्कों के बावजूद भी ८ सितम्बर की रेखा और कोलम्बो प्रस्तावों वाली बात अस्थायी है और अस्थाई ध्येक के लिये है।

जैसा कि मैंने पहले कहा था चीन के साथ हमारे संघर्ष का सारा मामला बहुत गहरा है और चाहे दरम्यान में कुछ भी हों सालों तक चल सकता है। मैं यह नहीं कहता कि लड़ाई सालों तक चलती रहेगी। किन्तु संघर्ष फिर भी रहेगा और खतरा भी रहेगा। इसलिये हमें तैयार रहना है और अपनी हैसियत के अनुसार अपने को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाना है। चाहे कुछ भी हो हमें अपनी ताकत बढ़ानी है।

कुछ लोग यह सोचते हैं कि इन कोलम्बो प्रस्तावों के मंजूर कर लिये जाने से और इस पर कार्य किये जाने से हम लोग सुस्त हो जायेंगे। यह बिल्कुल लगत है। निश्चय ही ऐसा न तो सरकार का

†मूल अंग्रेजी में

और न ही, मैं समझता हूं सभा में से किसी का, मत है। हमें अपने को ताकतवर बनाना है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी ताकत बढ़ाये। केवल ऐसी मदद से जैसी हमें मिल रही है—और जिनके लिये हम उन देशों के जो मदद दे रहे हैं, अहसानमन्द हैं—काम नहीं चलेगा। असली बात तो यह है कि हम भारत के अन्दर ही अपनी शक्ति का बढ़ाये अपने उद्योग की क्षमता बढ़ायें और हर ऐसी चीज का निर्माण करें जो युद्ध और शांति दोनों में हमारे देश को ताकतवर बनाये। यह बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है।

माननीय सदस्य श्री फ्रैन्क एंथोनी ने अपनी सुन्दर और प्रभावपूर्ण शैली में कहा कि दो सौ वर्ष में कुछ अद्भुत घटना होने वाली है। यह घटना मेरे अथवा उन के जीवन काल में नहीं होगी तथा इस से अनेक बातें उद्भूत होंगी। मुझे प्रसन्नता है कि कभी कभी वह भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि यह दुनिया स्थिर नहीं है। यह परिवर्तनशील दुनिया है। यह भी संभव है कि दुनिया का वर्तमान रूप बिल्कुल ही बदल जाये। यह संभव है कि एक विश्व की आज की कल्पना साकार हो जाये। कदाचित साधारण प्रशासनिक आवश्यकता के अतिरिक्त सीमाओं का विलीन हो जाये। इस प्रकार की सब बातें हो सकती हैं। वर्तमान पर विचार करते समय भी हम भूत काल से अभिभूत हैं। तेजी से बदलते हुए इस जमाने में हमें यह बात याद रखना है कि हम दबाव या सैनिक बल के आगे न झुकें।

चीन की कोलम्बो प्रस्ताव के प्रति क्या आपत्ति है वे सब तो मुझे मालूम नहीं है किन्तु उन में से मैं एक दो का उल्लेख करूंगा। एक यह है कि वे लद्दाख में हमारी किसी प्रकार की सैनिक अथवा असैनिक चौकी नहीं चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन स्वयं वहां असैनिक नहीं परन्तु सैनिक चौकियां रखना चाहता है।

८ सितम्बर, के पहले वहां हमारी ४० चौकियां थीं, उन की भी ४० या ५० चौकियां थीं किन्तु मुझे निश्चित ज्ञान नहीं है। वहां उन की अनेक चौकियां है। चौकी की परिभाषा करना कठिन है। चौकी एक सुदृढ़ और सशक्त स्थान भी हो सकता है या यह भी हो सकता है कि आधे दर्जन व्यक्ति वहां अपना झण्डा लिये बैठे रहें। इस अभिप्राय से कि वहां किन्हीं अन्य व्यक्तियों को आने से रोक दें तथा वहां कोई कब्जा न करने पाये। यह चौकी शक्ति का प्रतीक न हो कर राष्ट्र की सार्वभौमता का एक प्रकट चिह्न मात्र है। चीनी वहां पर दोहरी सत्ता का विरोध कर रहे हैं। चीन और कोलम्बो प्रस्तावों के बीच यह मुख्य मतभेद है। हम चीन का यह दृष्टिकोण स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

नेफा में एक स्थान है जिसे वे चे डांग रिज कहते हैं और हम उसे थागला रिज कहते हैं ये दो बड़े मामले हैं? कुछ और भी हो सकते हैं। उन्हों ने हमें सब बातें नहीं बताई हैं क्योंकि उनका और हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। हम उन्हें इसलिये जानते हैं कि उनका उल्लेख किया गया था। कुछ और भी हो सकते है।

हम कोलम्बो प्रस्तावों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन इसलिये पसन्द नहीं करते हैं कि वह चीनियों को स्वीकार नहीं है। श्री कामत ने भूटान और सिक्किम की प्रवासी सरकारें तिब्बत में स्थापित करने का निर्देश किया है। हमें इस की जानकारी नहीं है। जब भूटान के प्रधान मंत्री यहां आये थे तो उन्होंने भी यही कहा था। इस कथन में कोई सत्यता नहीं है। चीन की सरकार ने क्रोध प्रकट करते हुए इससे इन्कार कर दिया है।

एक सदस्य ने यह भी कहा—मुझे उनका नाम मालूम नहीं है—कि चीनी सेनायें बर्मा पर दबाव डाल रही हैं और बर्मी सेनायें चीनी सेनाओं के साथ सहयोग कर रही हैं। बर्मी सरकार ने इस का जोरदार खण्डन किया है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सत्यता है।

कोलसबो राष्ट्र तथा अन्य देशों की आलोचना के बारे में भी मैं कुछ कह दूं। कोई भी व्यक्ति इन देशों को सैनिक रूप से सशक्त नहीं समझता है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि ये देश किसी निर्णय के लिये मजबूर नहीं कर सकते है। वे केवल मध्यस्थ हैं और कुछ सुझाव दे सकते हैं। उनकी इस आलोचना से—सभा में दिये गये रिमार्कों से हमारा प्रचार व्यर्थ हो जाता है। यदि इन देशों के लिये किन्ही निन्दाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे यह कहते है कि यहां पार्लियामेंट में ये शब्द कहे गये थे। चीन हमारे विरुद्ध जो भी प्रोपैगण्डा करता है उन से भी बुरा प्रभाव इन शब्दों का पड़ता है। मैं सभा को यह बात स्मरण कारा दूं कि हमें दूसरे देशों के प्रति अत्यन्त सावधानी से कुछ कहना चाहिये विशेष रूप से उन देशों के प्रति जो हमारे मित्र हैं भले ही कुछ बातों पर वह हम से सहमत न हों।

यह भी कहा गया है कि इन राष्ट्रों ने पृथक रूप से चीन को आक्रमणकारी के रूप में निन्दा नहीं की ऐसा करना उन के लिए कठिन है। उनके विचार कुछ भी हो लेकिन जब वे मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हों तो उनके लिये ऐसा कहना कठिन हो जाता है। पृथक रूप से निस्सन्देह वे निन्दा कर सकते हैं। संयुक्त अरब गणराज्य ने हमारा सब से अधिक समर्थन किया है। उस देश की केबिनेट से हमारा समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया है। मुझे उसके निश्चित शब्द तो मालूम नहीं हैं। किन्तु उसमें हमारा जबरदस्त समर्थन किया है। जब संयुक्त अरब गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री अली साबरी यहां आये तो समाचार पत्रों ने उनकी आलोचना की और यह कहा कि वे चीन को आक्रमणकारी घोषित करें। जो व्यक्ति यहां मध्यस्थ बनकर आता है उस का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह निष्पक्ष रूप में सम्बन्धित पक्षों के प्रति अपना व्यवहार रखे। समाचार पत्रों में उसकी आलोचना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समाचार पत्रों के इस अधिकार को चनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन उन की आलोचना से हमारे मित्र देशों में जो प्रतिक्रियायें उत्पन्न होती है उनके लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिये। सभा में बर्मा के ऊपर कुछ आरोप लगाये गये और कहा गया कि उस देश की सेनायें चीन के साथ सहयोग कर रही है। इस से वह बहुत चिढ़ गये और उन्हों ने इसका विरोध किया है। बर्मा की सरकार ने हमें लिखा है कि हमने अखबारों में छपे उक्त वक्तव्यों का खण्डन क्यों नहीं किया। हमने उनको बताया कि ऐसा करना कठिन है और इस से इस कार्य का और अधिक प्रचार हो जायेगा। और फिर इन अखबारों का अधिक प्रचार नहीं है एक समाचार पत्र—आनन्द बाजार पत्रिका, में श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्रीमती बंडारनायिके के विरुद्ध व्यक्तिगत निन्दाजनक बात कहीं गई और मुझे भी उस में शामिल कर लिया गया। मेरी बात छोड़िये किन्तु एक ऐसे देश के प्रधान मंत्री के विरुद्ध जो हमारा मित्र है जो हमारे साथ सहयोग कर रहा है जो शान्ति की स्थापना में प्रयत्नशील है, उसके प्रधान मंत्री के लिय इस तरह की बात करना अनुचित है। यदि हमें दुनिया में सबका मित्र बन कर रहना है तो हमें संयम से काम लेना चाहिये। यह सम्भव नहीं है कि हम दूसरे देशों की निन्दा भी करें और यह भी आशा करें कि वह हमारे मित्र रहे और हमारी सहायता भी करें।

एक बात मैं फिर दोहरा दूं कि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। हमारी चीन के साथ लड़ाई है। किन्तु हमारी मूलभूत नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से समस्यायें हल करने में ही विश्वास रखते हैं। क्यूबा में क्या हुआ। २४ घण्टे के अन्दर २० करोड़ आदमी न्यूक्लीयर बमों से मर सकते थे। थोड़ी सी भूल से एक नया भयानक घटना घट सकती थी। यह सौभाग्य की बात है कि समय पर बुद्धि का उदय हुआ और यह घटना रुक गयी। हमारे पास बम नहीं हैं लेकिन तब भी हमें इस प्रकार के परिणामों के प्रति सावधान रहना है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी भरसक योग्यता के साथ शान्ति और सम्मान सहित किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील रहें। मैंने यह भी कहा था कि हम इस प्रकार की समस्या की अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपने के लिये तैयार

हैं। अभी यह स्थिति नहीं आयी है किन्तु यदि ऐसा अवसर उपस्थित हुआ तो मैं सभा की राय लूंगा।

यदि कोई ऐसा मार्ग है जो राजनैतिक दृष्टि से हमारे लिये हानिकर नहीं है तो इसे वांछनीय ही समझना चाहिये। सैनिक मामलों की ओर मैं निर्देश नहीं कर रहा हूं, संभवतः विरोधी दलों के सदस्य इसके विशेषज्ञ हैं। यदि हम इसे रद्द कर दें तो राजनैतिक दृष्टि से यह गलती होगी। कोलम्बो राष्ट्र ही नहीं परन्तु दूसरे बड़े, और छोटे देश भी यह विचार करेंगे कि हम गलत नीति अपना रहे हैं और वे हमारा समर्थन नहीं करेंगे। हम इन देशों के समर्थन के लिये आभारी हैं और हमें उन के समर्थन की आवश्यकता है। किन्तु यदि हम दो बात स्वीकार न करें तो यह हमारे लिये उचित नहीं होगा।

अपना भार हमें स्वयं वहन करना होगा। यदि हम चनौती स्वीकार न करें तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। हम सदा युद्धजनक दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। भारत के लिये आज की स्थिति में यह उचित हो सकता है किन्तु बाहर के देशों में इसका ठीक प्रभाव नहीं पड़ता है। युद्धकारी दृष्टिकोण कमजोर देश अपनाते हैं, ताकतवर देश नहीं। सशक्त राष्ट्र समय आने पर मजबूत कदम उठाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं किन्तु शक्ति के लिये युद्धकारी कदम उठाने से किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है अथवा अपनाने का विचार रखती है। वह उचित है और मुझे विश्वास है कि सभा उसका समर्थन करेगी।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : भारत में चीनी नजरबन्दियों को रिहा करने और वापस भेजने के बारे में चीन की सरकार की कथित कार्यवाही के सम्बन्ध में आपने कहा था कि प्रधान मंत्री हमारा इसका उत्तर देंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां। चीन की सरकार ने कहा था कि यहां नजरबन्द चीनी असैनिकों को ले जाने के लिये वे एक या दो जहाज भेजेंगे। हमने कहा है कि जिन के पास चीनी गणतन्त्र सरकार के पासपोर्ट हैं वे वापस जा सकेंगे। यह बात उन असैनिक नीतिज्ञों के सम्बन्ध में हैं जिन के विरुद्ध किसी प्रकार का असैनिक अथवा फौजदारी मामला नहीं चल रहा हैं। हम किसी को जाने के लिये मजबूर नहीं कर रहे हैं। यह उस की इच्छा पर निर्भर है कि वह जाना चाहता है अथवा नहीं।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि चीनी नजरबन्दियों को रिहा करने के पहले हम चीन में भारतीय युद्धबन्दियों को मांग करें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये युद्धबदी नहीं हैं असैनिक व्यक्ति हैं।

श्री बागड़ी (हिसार) : एक मामूली सी बात मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बहुत हो चुका।

श्री बागड़ी : मैं एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहता था। जो हिन्दुस्तान के फौजी चाइना के पास है उनकी रिहाई के बारे में क्या कुछ बनेगा और क्या कुछ फैसला हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में